

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 4, 2016/पौष 14, 1937

No. 20]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 4, 2016/ PAUSA 14, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2016

का.आ. 21(अ).—राष्ट्रपति, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति की सिफारिश पर, 4 जनवरी, 2016 से केंद्रीय सूचना आयोग में श्री राधा कृष्ण माथुर को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

[फा. सं. 4/2/2015-आईआर]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2016

S.O. 21(E) –The President, on the recommendation of the Committee constituted under sub-section (3) of section 12 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), is pleased to appoint Shri Radha Krishna Mathur as the Chief Information Commissioner in the Central Information Commission with effect from the 4th day of January, 2016.

[F. No. 4/2/2015-IR]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.